तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **छीतरमल बनाम गोकुलराम** **अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2022 / 647**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण, रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 734, 736, 737 के पड़ौसी आराजी खसरा नम्बर 735, 733, 738 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 735, 733, 738 के खातेदार काश्तकार है पुख्ता पत्थरगढी नही करने देते है उसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2022 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि अपीलार्थीगण पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया था। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु तारीख नियत कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं ने अंकित किया है कि खसरा नम्बर 735, 733, 738 के खातेदार द्वारा पुख्ता पत्थरगढी नही करने देते है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2022 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से त्रुटिपूर्ण है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने हेतु अपनी सहमति भी दी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज छीतरमल बनाम गोकुलराम अपील संख्याः—जीसीएमएस नम्बर 2022 / 647	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
	कोटपूतली—बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली—बहरोड़ के समक्ष दिनांक 21.11.2023 को उपस्थित हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0 आरुषी मलिक) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	